77

## कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.8(2)(1)निर्वा/2020/4706

जयपुर, दिनांक: 28.09.2021

# आम सूचना

भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 155–वल्लभनगर जिला उदयपुर एवं 157–धरियावद (अ.ज.जा.) जिला प्रतापगढ के उप चुनाव, 2021 कराने हेतु कार्यकम की घोषणा कर दी है। इसके संबंध में सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और मुद्रणालयों के स्वामियों का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127–क के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्वाचन पुस्तिकाओं और पोस्टरों के मुद्रण तथा प्रकाशन पर लगाये गये निर्बन्धनों तथा इसके अनुसरण में जारी भारत निर्वाचन आयोग के आदेश कमांक 3/9 (E.S. 008) 94 JS–II दिनांक 2 सितम्बर, 1994 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार :–

(i) मुद्रित की जाने वाली प्रत्येक निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, प्लेकार्ड या पोस्टर के मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक का नाम और पता तथा प्रकाशक का नाम और पता अंकित होना आवश्यक है।

(ii) ऐसे किसी दस्तावेज के मुद्रक को उसके प्रकाशक से उसकी अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा, जो उसे स्वयं जानते है, अनुप्रमाणित दो प्रतियों में एक घोषणा प्राप्त करनी आवश्यक है। ऐसी घोषणा का प्रारूप भारत निर्वाचन आयोग के उक्त आदेश दिनांक 2 सितम्बर, 1994 के परिशिष्ट–" क " में विहित है।

(iii) ऐसे किसी दस्तावेज के मुद्रित होने के तीन दिन के भीतर उसके मुद्रक को उस घोषणा (उक्त वर्णित परिशिष्ट–"क") की एक प्रति तथा उस दस्तावेज की चार प्रतियों सहित, यदि वह दस्तावेज जयपुर शहर में मुद्रित किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को और अन्य दशा में, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को भेजनी आवश्यक है।

(iv) उक्त घोषणा एवं मुद्रित दस्तावेजों की चार प्रतियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करते समय उसके साथ–साथ दस्तावेजों की कुल मुद्रित की गई प्रतियों की संख्या व उनकी कीमत (कागज सहित) का ब्यौरा भी एक निर्धारित प्रारूप (आयोग के उक्त आदेश दिनांक 2 सितम्बर, 1994 के परिशिष्ट– "ख" द्वारा विहित) में देनी आवश्यक है।

(v) जो कोई व्यक्ति उक्त धारा के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

तथापि ये उपबन्धन किसी ऐसे पर्चे, प्लेकार्ड अथवा पोस्टर पर लागू नहीं होते हैं जो किसी निर्वाचन सभा की केवल तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के लिए अनुदेशों की घोषणा मात्र हो।

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर